रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266429
CG-DL-E-26092025-266429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947
No. 4256] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

का. आ. 4375(अ) – महानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर विनियम, 2024 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम डाकघर (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये 1 अक्तूबर, 2025 को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल विनियम कहा गया है) के, विनियम 2 के उपविनियम, (1) में, खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

(ड क)- **"रजिस्ट्रीकरण" या "रजिस्ट्रीकृत डाक"** से प्रेषिती विनिर्दिष्ट डिलिवरी के लिए स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु

(दस्तावेज और पार्सल) हेतु मूल्य वर्धित सेवा अभिप्रेत है;

3. मूल विनियम के विनियम 98 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा; अर्थात :

(2) "स्पीड पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट दस्तावेज के डाक महसूल अनुसूची I की **सारणी IV और सारणी IV क** में उल्लिखित अनुसार होगा"।

4. विनियम 132 का लोप किया जाएगा।

5. मूल विनियम के, विनियम 133 के उपनियम 1 में, "किसी भी लेखादेय डाक-वस्तु" शब्दों के स्थान पर "स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल विनियम के विनियम 136 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"136 क- **वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित डिलिवरी**.- जब प्रेषक अनुसूची IV की तालिका IV (क) में उल्लिखित फीस का भुगतान करके इस सेवा का विकल्प लेता है, तो प्रेषिती को डाक-वस्तु की डिलिवरी तभी की जाएगी जब डिलिवरी के समय प्रेषिती डिलिवरी स्टाफ को ओटीपी प्रदान करता है।"

7. उक्त मूल विनियम की, अनुसूची I की, सारणी IV में-

(क) "स्पीड पोस्ट दस्तावेज़ और पार्सल" शीर्षक के स्थान पर "स्पीड पोस्ट पार्सल" शीर्षक रखा जाएगा

(ख) सारणी IV के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात :

"टिप्पण: जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो।"

(ग) सारणी IV के पश्चात निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात :-

"सारणी IV क

स्पीड पोस्ट दस्तावेज						
वज़न/ दूरी	**स्थानीय**	**200 कि.मी. तक**	**201 से 500 कि.मी. तक**	**501 से 1000 कि.मी. तक**	**1001 से 2000 कि.मी. तक**	**2000 कि.मी. से अधिक**
50 ग्राम तक	19	47	47	47	47	47
51 ग्राम से 250 ग्राम तक	24	59	63	68	72	77

251 ग्राम से 500 ग्राम तक	28	70	75	82	86	93

"टिप्पण : जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो।"

(घ) मद (ii) में "रजिस्ट्रीकृत मद" शीर्षक और तत्समान प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

(ङ) सारणी VII के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

"टिप्पण : रजिस्ट्रीकरण लिफाफों के लिए संग्रहीत किए गए 22/- रुपए का प्रयोग पूर्व संदत्त डाक-महसूल के रूप में किया जाएगा"

8. मूल विनियम की अनुसूची IV में,

(क) सारणी I में, "घरेलू मदों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"डाक महसूल के अतिरिक्त, स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु (दस्तावेज़/पार्सल) के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभार्य फीस	5/- रु. (जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो)",

(ii) सारणी II में, "बीमा फीस (घरेलू)" शीर्षक के अधीन,

(i) मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :-

(i) स्पीड पोस्ट डाक-वस्तु (दस्तावेज या पार्सल) के बीमा के लिए";

(ii) मद (ii) का लोप कर दिया जाएगा।

(ग) सारणी IV के पश्चात निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"सारणी IV क

वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित डिलिवरी	
स्पीड पोस्ट डाक-वस्तुओं (दस्तावेज/पार्सल) की वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित डिलिवरी के लिए संदेय फीस	डाक महसूल एवं अन्य लागू फीस के अतिरिक्त प्रति मद 5/- रुपए (जीएसटी अतिरिक्त, जैसा लागू हो)"

(घ) सारणी V के "मेल भेजने से पहले की गतिविधियां" शीर्षक के अधीन दरें (रुपए में) स्तंभ में "अ-रजिस्ट्रीकृत" और "रजिस्ट्रीकृत" उप-शीर्षकों के स्थान पर, क्रमशः "गैर-लेखादेय" और "लेखादेय" उप-शीर्षक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 27-06-2024-पीओ]

विवेक कुमार दक्ष, उपमहानिदेशक

टिप्पण :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5440. (अ.), तारीख 16 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम बार संख्यांक का.आ. 2738 (अ), तारीख 19 जून, 2025 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2025

S.O. 4375(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Post Office Regulations, 2024, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Post Office (Fourth Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 2025.

2. In the Post Office Regulations, 2024 (hereinafter referred to as principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (m), the following clause shall be inserted, namely: -

'(ma) **"Registration" or "Registered Post"** means value added service for Speed Post items (documents and parcels) for addressee specific delivery: -'

3. In the principal regulations, in regulation 98, for sub-regulation (2), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

(2) " The postage of Speed Post Parcel and Speed Post Document shall be as mentioned in **TABLE IV** and **TABLE IV A** of Schedule I "

4. Regulation 132 shall be omitted.

5. In the principal regulations, in regulation 133, in sub-regulation 1, for the words "Any accountable item", the words "Speed Post item" shall be substituted.

6. In the principal regulations, after regulation 136, the following regulation shall be inserted namely: -

"136 A.- **One Time Password (OTP) based delivery.** Once the sender opts for this service on payment of fees mentioned in Table IV A of Schedule IV, the item shall be delivered to the addressee only when the addressee provides the OTP to the delivery staff at the time of delivery."

7. In the said principal regulations, in SCHEDULE I, in Table IV,-

(a) for the heading "Speed Post Document and Parcel", the heading "Speed Post Parcel" shall be substituted;

(b) the following note shall be inserted at the end of table, namely:-

"Note: GST extra as applicable".

(c) after Table IV, the following table shall be inserted, namely :-

"TABLE IV A

SPEED POST DOCUMENT						
Weight/Distance	**Local**	**upto 200 Kms.**	**201 to 500 Kms.**	**501 to 1000 Kms.**	**1001 to 2000 Kms.**	**Above 2000 Kms.**
Up to 50 grams	19	47	47	47	47	47
51 grams to 250 grams	24	59	63	68	72	77
251 grams to 500 grams	28	70	75	82	86	93

"Note: GST extra as applicable";

(d) in item (ii), the heading "Registered Item" and the corresponding entry shall be omitted.

(e) the following note shall be inserted at the end of table VII , namely:-

" Note: ₹ 22/- collected for Registration Envelopes shall be used as pre-paid postage".

8. In the principal regulations, in SCHEDULE IV,

(a) in the TABLE I, under the heading "REGISTRATION OF DOMESTIC ITEMS",for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" In addition to the postage, fee chargeable for the registration of Speed Post item (Document or Parcel)	Rs.5/- (GST extra as applicable)";

(b) in TABLE II, under the heading "INSURANCE FEE (DOMESTIC)", -

(i) for item (i), the following item shall be substituted, namely: -

(i) For insurance of Speed Post Item (Document or Parcel)";

(ii) item (ii) hall be omitted;

(c) after Table IV, the following table shall be inserted, namely: -

"TABLE IV A

ONE-TIME PASSWORD (OTP) BASED DELIVERY	
Fee payable for One-Time Password (OTP) based delivery of Speed Post Items (Document/Parcel)	Rs.5/- (GST extra as applicable) per item in addition to postage and other applicable fee."

(d) in TABLE V, under the heading "PRE-MAILING ACTIVITIES", in column "Rates (in Rs.)", for the sub-headings "Un-registered" and "registered", the sub-headings "Unaccountable" and "Accountable" shall respectively be substituted.

[F. No. 27-06-2024-PO]

VIVEK KUMAR DAKSH, Dy. Director General

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O 5440. (E), dated the 16th December, 2024, and lastly amended vide number S.O 2738. (E), dated the 19th June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.26 11:32:11 +05'30'